

कमिश्नर सीमा शुल्क नई दिल्ली

बनाम

मैसर्स लिविंग मीडिया (इंडिया) लिमिटेड

(2002 की सिविल अपील संख्या 8627-8628)

17 अगस्त 2011

(डॉ. मुकुन्दकम शर्मा एवं अनिल आर. दवे, जेजे.)

सीमा शुल्क मूल्यांकन; आयातित माल के मूल्य का निर्धारण नियम, 2007-आरआर. 2 (एफ) 3, 4 और 9(1)(सी) - आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन की विधि, प्रत्यर्थी-करदाताओं द्वारा आयातित रिकॉर्ड किए गए ऑडियो कॅसेट/सीडी का मूल्यांकन आयातित माल के लिए प्रत्यर्थी-करदाताओं द्वारा भुगतान किये जाने वाले सीमा शुल्क के मूल्यांकन के उद्देश्य से आयातित माल के लेनदेन मूल्य में रॉयल्टी का मूल्य शामिल होना आवश्यक है। अभिनिर्धारित लेनदेन मूल्य निर्धारित करने में वास्तव में खरीदार द्वारा माल की बिक्री की शर्त के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किये गये भुगतान या देय मूल्य में आयातित माल से संबंधित रॉयल्टी व लाइसेंस शुल्क को जोड़ा जाना चाहिए। विचाराधीन सभी मामलों में, इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि प्रश्नगत भारत में पहले से रिकॉर्ड किए गए कॅसेट के रूप में लाए गए थे जिनमें किसी कलाकार का संगीत या गीत था। सभी मामलों में एक समझौता मौजूद था कि रॉयल्टी का भुगतान उन कलाकारों और निर्माताओं को भुगतान किए जाने वाले पैसे के रूप में था जिन्होंने ऐसे कॅसेट का निर्माण किया था। जैसे ही कॅसेट वितरित की गई और बेची गई, रॉयल्टी देय हो गई और इसलिए ऐसी रॉयल्टी पूरे भेजे गए रिकॉर्ड में से वापिस भेजे गये रिकॉर्ड को छोड़ कर देय होगी। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रॉयल्टी का भुगतान बिक्री की एक शर्त थी। पूर्व में

रिकॉर्ड की गई संगीत कैसेट का मूल्य खाली कैसेट के मुकाबले ज्यादा होता है जो इसके मूल्य के अतिरिक्त होता है और इसलिए अंतिम उत्पाद के मूल्य पर शुल्क लगाना होगा। इसलिए भुगतान की गई रॉयल्टी का हिस्सा लेनदेन मूल्य में शामिल किया जाना है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 धारा 14।

प्रत्यर्थी-करदाताओं द्वारा आयातित रिकॉर्ड किए गए ऑडियो कैसेट/सीडी का मूल्यांकन तत्काल अपील का विषय था। विचार के लिए जो प्रश्न यह है कि क्या आयातित वस्तुओं के लिए प्रत्यर्थी-करदाताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी का मूल्य सीमा शुल्क मूल्यांकन के उद्देश्य से आयातित वस्तुओं के लेनदेन मूल्य में शामिल किया जाना था।

न्यायालय ने अपीलों का निस्तार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया -

1. सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 माल के मूल्यांकन के उद्देश्य से निर्धारण से संबंधित है। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क मूल्यांकन; आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण नियम, 2007 बनाया। नियमों के नियम 2 (एफ) में (लेनदेन मूल्य) को परिभाषित किया गया है। इस में यह उपबंधित है कि मूल्यों का निर्धारण नियमों के नियम 4 के अनुसार किया गया है, जबकि नियमों का नियम 3 मूल्यांकन की पद्धति के निर्धारण से संबंधित है। [पैरा 24, 25 और 26,] [781.बी; 782-एफ-एच]

2. यहां विचाराधीन बिन्दू का उत्तर जो बिन्दु हमारे समक्ष विचार के योग्य है, उसका उत्तर एसोसिएटेड सीमेंट्स कंपनीज लिमिटेड (सुप्रा) में निर्णित किया जा चुका है। उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि पहले से रिकॉर्ड किया गया संगीत कैसेट या कोई लोकप्रिय फिल्म या संगीत लिपि भारत में आयात किया जाता है, तो अंतिम उत्पाद के मूल्य पर शुल्क अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। नियम

9 के अनुसार, लेनदेन मूल्य निर्धारित करने में आयातित माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत रॉयल्टी और आयातित माल से संबंधित लाइसेंस शुल्क को जोड़ा जाना चाहिए। जिसे खरीदार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करना आवश्यक है। इसलिए माल की बिक्री की एक शर्त है की जब खाली कैसेट के मुकाबले पहले से रिकॉर्ड किए गए संगीत कैसेट का आयात किया जाता है, तो निश्चित रूप से बाजार में इसका मूल्य बढ़ जाता है जो इसके मूल्य के अतिरिक्त होता है और इसलिए अंतिम उत्पाद के मूल्य पर शुल्क लगाना होगा। इसलिए, इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि भुगतान की गई रॉयल्टी का मूल्य लेनदेन मूल्य में शामिल किया जाना है। सभी विचाराधीन मामलों में, इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रश्नाधीन कैसेट भारत में पूर्व रिकॉर्ड किये गये कैसेट लाये गये थे जिसमें संगीत या किसी कलाकार के गाने थे। इस मामले में एक समझौता मौजूद था कि रॉयल्टी का पैसों के रूप में भुगतान उस कैसेट में मौजूद उस संगीत या कलाकार के गानों या निर्माणकर्ताओं को होना था जिन्होंने उसका निर्माण किया था। कैसेट की ऐसी रॉयल्टी पूरे भेजे गए रिकॉर्ड में से वापिस भेजे गये रिकॉर्ड को छोड़ कर देय होगी। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रॉयल्टी का भुगतान बिक्री की एक शर्त थी। (पैरा 32, 33)(787-बी-जी)

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम कमीशन सीमा शुल्क (2001) 4 एससीसी 593:2001(8) एससीसीआर 608-आधारित।

सीमा शुल्क आयुक्त बनाम फेरोडो इंडियाय प्रा. लिमिटेड(4) एससीसी 563:2008(3) एससीआर 147; कलेक्टर ऑफ कस्टम (पिछला), अहमदाबाद बनाम गुजरात लिमिटेड, 1996 88 ईएलटी (एस.सी.)- संदर्भित।

संदर्भित केस लॉ

| | | |
|------------------------|------------|-----------------|
| 2008 (3) एससीआर 147 | संदर्भित | पैरा 29 |
| 1996 88 इएलटी 609 एससी | संदर्भित | पैरा 30 |
| 2001 (1) एससीआर 608 | भरोसा किया | पैरा 31, 32, 34 |

सिविल अपील लिए क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 8627-8628/2002।

सीमा शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकार, नई दिल्ली के सिविल अपील संख्या सी/405 और सी/414/2001-ए में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 23.01.2002 से।

सीए 2959 वर्ष 2008, 2006 की 4751, 2832 और 2009 की 1 में दिनांक 23.01.2002 में।

मुकुल गुप्ता, शालिनी कुमार, अरुण कृष्ण, बी.के प्रसाद, अनिल कटारिया, बलबीर सिंह, अभिषेक सिंह बघेल, रूपेन्द्र सिंहमार, राजेश कुमार, बी.वी. बलराम दास, अलोक यादव, कृष्णा मोहन, वी. बालाचन्द्र., ई.सी. अग्रवाल, पक्षकारान की ओर से उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय डॉ. मुकुंदकम शर्मा, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. 2002 की सिविल अपील संख्या 8627-8628 23.1.2002 सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद संक्षेप में "सीईजीएटी" के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है। हालांकि, 2008 की सिविल अपील संख्या 2959, 2006 की सिविल अपील संख्या 4751, 2006 की सिविल अपील संख्या 2832 और 2009 की सिविल अपील संख्या 1 सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकार (संक्षेप में "सीईएसटीएटी" के रूप में संदर्भित) द्वारा क्रमशः दिनांक 21.9.2007, 2.2.2006, 2.9.2005 और 16.10.2008 पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

2002 की सिविल अपील संख्या 8627-8628।

2. वर्तमान अपील दायर करने के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी कंपनी भारत में विभिन्न संगीत परियोजनाएं चलाती है और इन परियोजनाओं के तहत यह संगीत कार्यों की रचना और रिकॉर्डिंग के लिए प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ समझौते में प्रवेश करती है। इस प्रकार रिकॉर्ड किया गया संगीत [डीएटी डिजिटल ऑडियो टेप] मास्टर में परिवर्तित हो जाता है। जिसे बाद में कॉम्पैक्ट डिस्क पर संगीत कार्य की नकल करने के लिए सिंगापुर भेजा जाता है। इसके अलावा प्रतिवादी कॉम्पैक्ट डिस्क पर विभिन्न संगीत शीर्षकों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्रति लिपिकर के लिए भी सेवा प्रदान करता है।

3. प्रतिवादी ने मैसर्स वर्ल्ड मीडिया इंडिया लिमिटेड. नई दिल्ली, के साथ सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है जो प्रतिवादी को मास्टर्स प्रदान करती है और प्रतिवादी बदले में इन मास्टर्स को कॉम्पैक्ट डिस्क (सीडी) पर संगीत कार्य की नकल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजता है।

4. प्रतिवादी ने घरेलू उपभोग के लिए बिल नंबर 659308 दिनांक 27.05.1998 के माध्यम से सिंगापुर से ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क की एक खेप आयात की। सिंगापुर में प्रतिलिपिकार के चालान मूल्य पर सीमा शुल्क का भुगतान किया गया था और प्रत्येक सीडी का घोषित मूल्य 0.6 अमेरिकी डॉलर था। प्रतिवादी ने घरेलू उपभोग के लिए बिल संख्या 659289 दिनांक 27.05.1998 के तहत ऑस्ट्रेलिया से ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क का समान आयात किया था और प्रत्येक सीडी का घोषित मूल्य 1.62 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर था। प्रतिवादी द्वारा आयातित इन खेपों के मूल्यांकन के संबंध में विवाद इन अपीलों का विषय है।

5. सहायक आयुक्त ने दिनांक 23.06.1998 के आदेश के तहत सिंगापुर से आयातित सीडी के मूल्य का आकलन करते हुए विज्ञापन और प्रचार के तहत किए गए

खर्चों को छोड़कर सभी कटौतियों की अनुमति दी और मूल्यांकन योग्य मूल्य 100 रुपये प्रति सीडी तय किया। ऑस्ट्रेलिया से आयातित सीडी के लिए मूल्यांकन प्राधिकारी ने रॉयल्टीए विज्ञापन और प्रचार पर खर्च के दावे की सीमा को छोड़कर कटौती की अनुमति दी और मूल्यांकन योग्य मूल्य 199 रुपये प्रति सीडी निर्धारित किया गया था।

6. सहायक आयुक्त के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी करदाता ने आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। आयुक्त (अपील) ने दिनांक 12.06.2001 के आदेश द्वारा मूल्यांकन प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि की। इससे व्यथित होकर, प्रतिवादी करदाता ने सीईजीएटी में अपील की। सीईजीएटी ने, दिनांक 23.01.2002 के आदेश के तहत, अपील की अनुमति दी और आयुक्त (अपील) के दिनांक 12.06.2001 के आदेश को रद्द कर दिया।

2008 की सिविल अपील संख्या 2959

7. वर्तमान अपील 21.09.2007 को पारित सीईएसटीएटी के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत राजस्व द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई थी और सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) के 18.09.2006 के आदेश को बरकरार रखा गया था।

8. वर्तमान अपील दायर करने के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी मेसर्स सोनी बीएमजी म्यूजिक एंटरटेनमेंट (आई) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयातित माल जिसके आपूर्तिकर्ता मेसर्स सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट (हांगकांग) लिमिटेड की जांच जीएटीटी वैल्यूएशन सेल, मुंबई द्वारा की गई थी। सीमा शुल्क उपायुक्त ने दिनांक 10.02.2006 के आदेश के तहत माना कि प्रतिवादी और आपूर्तिकर्ता सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988 के नियम 2(2) के तहत संबंधित थे और आयातित माल के लेनदेन मूल्य को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि रॉयल्टी का उल्लेख पैरा 4 में किया गया है।

आयातक और मैसर्स सोनी बीएमजी म्यूजिक एंटरटेनमेंट, न्यूयॉर्क के बीच किए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन लाइसेंस समझौते की अनुसूची ए के साथ पठित खंड 4 को सीमा शुल्क मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए घोषित मूल्य में 50 प्रतिशत के अतिरिक्त जोड़ा जाना था। सीडी के व्यावसायिक इतिहास में किसी बाद के चरण में बिक्री के लिए रॉयल्टी का भुगतान शर्त माना गया था।

9. उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रतिवादी ने सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। आयुक्त (अपील) ने दिनांक 18.09.2006 के आदेश द्वारा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के दिनांक 10.02.2006 के आदेश को रद्द कर दिया और माना कि चालान मूल्य में रॉयल्टी को शामिल करने की अनुमति नहीं थी। इससे व्यथित होकर, राजस्व ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की। सीईएसटीएटी ने दिनांक 21.09.2007 के आदेश के तहत राजस्व की अपील को खारिज कर दिया और आयुक्त (अपील) के दिनांक 18.09.2006 के आदेश को बरकरार रखा।

2006 की सिविल अपील संख्या 4751

10. वर्तमान अपील 02.02.2006 को पारित सीईएसटीएटी के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है। जिसके तहत प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार किया गया और आयुक्त (अपील) के 24.09.2004 के आदेश को रद्द कर दिया गया था।

11. वर्तमान अपील दायर करने के तथ्य यह हैं कि मेसर्स वर्जिन रिकॉर्ड्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स ईएमआई कॉम्पैक्ट डिस्क, हॉलैंड से सीडी के आयात का मामला जांच के लिए ले जाया गया। सीमा शुल्क उपायुक्त ने दिनांक 17.08.2000 के आदेश के तहत माना कि प्रतिवादी और आपूर्तिकर्ता सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988 के 2(2) के आधार पर एक-दूसरे से संबंधित हैं। उक्त संबंधों

से किसी भी तरह से कीमतों और मूल्य को प्रभावित नहीं किया है। आयात का हिस्सा लेनदेन मूल्य पर लिया जा सकता है और इसलिए चालान बिल लोड करने का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

12. इससे व्यथित होकर, राजस्व ने आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की। आयुक्त (अपील) ने दिनांक 24.09.2004 के आदेश द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को खारिज कर दिया और माना कि सीडी के निर्धारण योग्य मूल्य का आकलन चालान मूल्य और रिकॉर्ड के पुनर्विक्रय पर देय कॉपीराइट शुल्क के आधार पर किया जाना चाहिए। आयुक्त (अपील) के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की। सीईएसटीएटी ने दिनांक 02.02.2006 के आदेश के तहत आयुक्त (अपील) के दिनांक 24.09.2004 के आदेश को रद्द कर दिया और कर निर्धारण अधिकारी के दिनांक 17.08.2000 के आदेश को बहाल कर दिया।

2006 की सिविल अपील संख्या 2832

13. वर्तमान अपील 02.09.2005 को पारित सीईएसटीएटी के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत प्रतिवादी - करदाता द्वारा दायर अपील की अनुमति दी गई थी और सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) के 20.11.2002 के आदेश को रद्द कर दिया गया था।

14. वर्तमान अपील दायर करने के तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी मैसर्स सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट (इंडिया) लिमिटेड, सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट (इंडिया) इंक., यूएसए की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। उनका सोनी कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क यूएस के साथ एक लाइसेंसिंग समझौता है। भारतीय कंपनी ने अपने विदेशी सहयोगियों के साथ विभिन्न समझौते (लाइसेंसिंग आदि) किए हैं।

15. उक्त अपील में निर्धारण योग्य बिन्दु यह है कि प्रतिवादी द्वारा भारत में आयातित रिकॉर्डेड कॉम्पैक्ट डिस्क की बिक्री पर रॉयल्टी बिक्री कर व 6.5 प्रतिशत पैकेजिंग कटौती घटाकर एमआरपी के 20 प्रतिशत की दर से देय होगी। निर्धारण प्राधिकारी ने दिनांक 31.10.2000 के आदेश के तहत चालान में अंकित मूल्य को लेन-देन का मूल्य स्वीकार कर लिया और यह माना कि रॉयल्टी का भुगतान माल की बिक्री की शर्त नहीं है तथा इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उक्त सीडी उत्तरदाता ने किस निर्माता/आपूर्तिकर्ता से प्राप्त की है। हालाँकि, आयुक्त (अपील) ने दिनांक 20.11.2002 के आदेश के तहत, राजस्व की अपील पर दिनांक 31.10.2000 के निर्णय आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि रॉयल्टी भुगतान आयातित माल की बिक्री की एक शर्त है।

16. सीईएसटीएटी ने दिनांक 02.09.05 के आदेश के तहत प्रतिवादी की अपील पर आयुक्त (अपील) के दिनांक 20.11.2002 के आदेश को रद्द कर दिया और माना कि नियम 9(1)(सी) के व्याख्यात्मक नोट्स के आधार पर प्रतिवादी के तर्क सही हैं कि उनके द्वारा सोनी कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका को रॉयल्टी का भुगतान आयातित माल की कीमत में शामिल नहीं किया जा सकता है। अतः विभाग द्वारा यह सिविल अपील प्रस्तुत की गई है।

2009 की सिविल अपील संख्या 1

17. वर्तमान अपील 16.10.2008 को पारित सीईएसटीएटी के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत अपीलकर्ता-करदाता द्वारा दायर अपील खारिज कर दी गई थी और सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) के दिनांक 09.04.2002 के आदेश को बरकरार रखा गया था।

18. वर्तमान अपील दायर करने के तथ्य यह हैं कि इस मामले में अपीलकर्ता मेसर्स यूनिवर्सल मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स जर्मनी और संबंधित कंपनियों से आयातित ऑडियो कैसेट और सीडी के विपणन में लगे हुए हैं। उनकी कंपनी यूनिवर्सल म्यूजिक होल्डिंग नीदरलैंड की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी है।

19. उक्त अपील में निर्धार. योग्य बिन्दु यह है कि क्या अपीलकर्ता द्वारा यूनिवर्सल म्यूजिक होल्डिंग नीदरलैंड्स को भारत में शुद्ध बिक्री पर भुगतान की गई रॉयल्टी को यूनिवर्सल मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स जर्मनी से आयातित ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क के लेनदेन मूल्य में जोड़ा जा सकता है।

20. विदेशी सहयोगी के साथ किए गए समझौते के अनुसार भारतीय कंपनी को विदेशी आपूर्तिकर्ता को माल के खुदरा बिक्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी का भुगतान करना था। चूंकि आयातक 100 प्रतिशत सहायक कंपनी थीए इसलिए इसे एक संबंधित व्यक्ति के रूप में माना जाता था और आपूर्तिकर्ता को इसके द्वारा देय रॉयल्टी को बिक्री की शर्त के रूप में माना जाता था और इसलिए घोषित चालान मूल्य में इस सीमा तक शामिल किया जाना आवश्यक था कि रॉयल्टी राशि जिसके लिए अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उपायुक्त द्वारा फैसला सुनाया गया थाए जिन्होंने दिनांक 16.10.2001 के सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988 आदेश के तहत माना था कि अपीलकर्ता द्वारा आयातित माल का मूल्य नियम 9 (1)(सी) के अनुसार 15 प्रतिशत लोड किया जाना है।

21. इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने दिनांक 09.04.2002 के आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया और कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बरकरार रखा। आयुक्त (अपील) के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सीईएसटीएटी के समक्ष एक अपील दायर की, जिसे दिनांक

16.10.2008 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया और आयुक्त (अपील) के दिनांक 09.04.2002 के आदेश को बरकरार रखा गया।

22. चूँकि इन सभी अपीलों में लगभग समान तथ्य शामिल हैं और उनमें उठाए गए मुद्दे भी समान हैं, इसलिए हम इन सभी अपीलों को इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा निपटाने का प्रस्ताव करते हैं।

23. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने व्यापक दलीलें दीं और रिकॉर्ड पर मौजूद प्रासंगिक सामग्रियों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया। हमारे समक्ष विचार योग्य बिन्दुओं के संदर्भ में प्रस्तुत दलिलों व सामग्री के आधार पर विचार करते हैं।

24. पार्टियों द्वारा उठाये गये तर्कों को ध्यान में रखते हुए, हम सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के प्रावधानों को उल्लेखित करना उचित समझता है। उक्त प्रावधान कर निर्धारण के उद्देश्य से माल के मूल्यांकन से संबंधित है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है।

"14. माल का मूल्यांकन.- (1) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51), या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रयोजनों के लिए, आयातित माल और निर्यात माल का मूल्य ऐसे माल का लेनदेन मूल्य होगा, कहने का तात्पर्य है कि आयात के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए भारत में निर्यात के लिए बेचे जाने पर, या जैसा भी मामला हो, निर्यात के समय और स्थान पर डिलीवरी के लिए भारत से निर्यात के लिए बेचे जाने पर माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत है चाहे माल के क्रेता और विक्रेता संबंधित नहीं हैं और ऐसी अन्य शर्तों के अधीन बिक्री के लिए कीमत ही एकमात्र विचार है जो इस संबंध में बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट की जा सकती है;

बशर्ते कि आयातित माल के मामले में इस तरह के लेनदेन मूल्य में उपरोक्त कीमत के अलावा लागत और सेवाओं के लिए भुगतान या देय कोई भी राशि शामिल होगी जिसमें कमीशन और ब्रोकरेज इंजीनियरिंग डिजाइन कार्य रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क परिवहन की लागत शामिल है। इस संबंध में बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट सीमा तक और तरीके से आयात बीमा लोडिंग अनलोडिंग और हैंडलिंग के स्थान पर शुल्क।

बशर्ते कि इस संबंध में बनाए गए नियमों में यह प्रावधान किया जा सके,-

(i) वे परिस्थितियाँ जिनमें क्रेता और विक्रेता को संबंधित माना जाएगा;

(ii) माल के संबंध में मूल्य के निर्धारण का तरीका जब कोई बिक्री नहीं होती है, या खरीदार और विक्रेता संबंधित होते हैं या कीमत बिक्री के लिए एकमात्र बिन्दु नहीं है या किसी अन्य मामले में;

(iii) आयातक या निर्यातक द्वारा घोषित मूल्य की स्वीकृति या अस्वीकृति का तरीका, जैसा भी मामला हो, जहां उचित अधिकारी के पास ऐसे मूल्य की सच्चाई या सटीकता पर संदेह करने का कारण है, और इस धारा के प्रयोजनों के लिए मूल्य का निर्धारण;

बशर्ते कि ऐसी कीमत की गणना उस तारीख को लागू विनिमय दर के संदर्भ में की जाएगी, जिस दिन धारा 46 के तहत प्रवेश का बिल प्रस्तुत किया जाता है, या निर्यात का शिपिंग बिल, जैसा भी मामला हो; धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाता है।

(2) उपधारा (1) में विहित किसी भी बात के बावजूद, यदि बोर्ड संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आयातित माल या निर्यात के किसी भी वर्ग के लिए टैरिफ मूल्य तय कर सकता है। सामान ऐसे या समान सामान के मूल्य की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए और जहां ऐसे

कोई टैरिफ मूल्य तय किए गए हैं, शुल्क ऐसे टैरिफ मूल्य के संदर्भ में लगाया जाएगा।"

25. सीमा शुल्क अधिनियम के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 2007 इसके बाद इसे संक्षेप में "नियम" कहा जाएगा।"

26. नियमों का नियम 2(एफ) लेन-देन मूल्य, को परिभाषित करता है जो यह उपबंधित करता है कि इसका तात्पर्य नियमों के नियम 4 के अनुसार निर्धारित मूल्य है। नियमों का नियम 3 मूल्यांकन की पद्धति के निर्धारण से संबंधित है जिसके अनुसार रुपये मूल्यांकन की पद्धति का निर्धारण इन नियमों के प्रयोजन के लिए।

"मूल्यांकन की विधि का निर्धारण - इन नियमों का उद्देश्य के लिए -

(i) नियम 9 और 10-ए के अधीन आयातित माल का मूल्य लेनदेन मूल्य होगा;

(ii) यदि मूल्य सीएल के प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त, मूल्य इन नियमों के नियम 5 से 8 के माध्यम से क्रमिक रूप से आगे बढ़कर निर्धारित किया जाएगा।"

27. लेन-देन का मूल्य क्या है, इसे नियम 4 में निम्नलिखित तरीके से बताया गया है:-

"4. लेन-देन मूल्य - (1) आयातित वस्तुओं का लेन-देन मूल्य भारत में निर्यात के लिए बेचे जाने पर माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत होगी, जिसे इन नियमों के नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया जाएगा।

28. नियमों का नियम 9 (1)(सी) इस प्रकार है:-

"9. लागत और सेवाएँ (1) लेनदेन मूल्य निर्धारित करने में, आयातित माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत को जोड़ा जाएगा।

(सी) आयातित माल से संबंधित रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क, जिसे खरीदार को माल की बिक्री की शर्त के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करना पड़ता है, इस सीमा तक कि ऐसी रॉयल्टी और शुल्क वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत में शामिल नहीं है।"

29. सीमा शुल्क आयुक्त बनाम फेरोडो इंडिया प्रा. लिमिटेड, 2008 (4) एससीसी 563 के मामले में इस न्यायालय के पास नियम 9(1)(सी) के उपरोक्त प्रासंगिक प्रावधान का विश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उक्त नियम वर्तमान अपील से भी संबंधित है जिसका प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है।

"16. नियम 9 (1)(सी) के तहत, तकनीकी जानकारी की लागत और रॉयल्टी का भुगतान आयातित माल की कीमत में शामिल है यदि उक्त भुगतान विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा आयातित माल की आपूर्ति के लिए एक शर्त है यदि ऐसी स्थिति मौजूद है तो तकनीकी जानकारी और रॉयल्टी के लिए किए गए भुगतान को आयातित माल की कीमत में शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, यदि ऐसे भुगतान का आयातित माल के कामकाज से कोई संबंध नहीं है तो ऐसा भुगतान आयातित वस्तुओं की कीमत में शामिल नहीं था।

17. एस्सार गुजरात लिमिटेड के मामले में पूर्वोक्त रूप में उल्लेखित है पूर्व आवश्यक शर्त के अनुसार आयातित संयंत्र का कामकाज से सीधा संबंध था इसलिए इसे उसकी कीमत पर लादान किया जाना था।

18. आयातित माल के संबंध रॉयल्टी और लाइसेंस फीस वह लागत है जो खरीदार द्वारा उस कीमत के अतिरिक्त खर्च की जाती है जिसे खरीदार को आयातित

माल की खरीद के लिए प्रतिफल के रूप में भुगतान करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, आयातित माल की कीमत के अलावा खरीदार को रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क के रूप में अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ता है, जिसे खरीदार सूचना का उपयोग करने, पेटेंट, व्यापार चिह्न के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करता है। इसलिए इस प्रकार के प्रकरणों में दो अवधारणाएँ जो एक साथ संचालित होती हैं, अर्थात् आयातित वस्तुओं की कीमत और रॉयल्टी लाइसेंस शुल्क जो विदेशी आपूर्तिकर्ता को भी भुगतान किया जाता है।

19. नियम 9(1)(सी) में कहा गया है कि तकनीकी जानकारी के लिए किया गया भुगतान विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा आयातित माल की आपूर्ति के लिए एक शर्त होनी चाहिए और यदि ऐसी स्थिति मौजूद है तो ऐसी रॉयल्टी और फीस को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। नियम 9(1)(सी) के तहत आयातित वस्तुओं की बिक्री की शर्त के रूप में तकनीकी जानकारी की लागत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आयातित माल की कीमत में भुगतान किया जाना शामिल है। इस स्तर पर हम नियम 9(1)(सी) में उल्लेखित अप्रत्यक्ष रूप से शब्द पर जोर देना चाहेंगे। जैसा कि ऊपर बताया गया है, आयातक व निर्यातक आयातित/निर्यातित सामान का भुगतान करता है। वह भी तकनीकी ज्ञान की लागत को कम करता है। इसलिए, हर मामले में विभाग को न केवल टीए, को देखना आवश्यक है, बल्कि खरीदार और उसके विदेशी सहयोगी के बीच मूल्य निर्धारण व्यवस्था/समझौते को भी देखना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि टीए, के साथ मूल्य निर्धारण व्यवस्था की जांच करने पर विभाग को पता चलता है कि आयातक/खरीदार ने बढ़ी हुई रॉयल्टी/लाइसेंस की आड़ में आयातित वस्तु की कीमत को समायोजित करके विभाग को गुमराह किया है। यदि संसर शुल्क लागू है तो निर्णय लेने वाला प्राधिकारी आयातित वस्तुओं की कीमत में रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क भुगतान की लागत को शामिल करने में सही होगा। ऐसे मामलों में आयातित वस्तुओं की कीमत पर रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क को जोड़ने का सिद्धांत लागू होगा। ऐसा इसलिए

है क्योंकि प्रत्येक आयातक/खरीदार न केवल आयातित सामान की कीमत का भुगतान करने के लिए बाध्य है, बल्कि उसे तकनीकी जानकारी की लागत भी वहन करनी पड़ती है। जिसका भुगतान विदेशी आपूर्तिकर्ता को किया जाता है। अतः ऐसे समायोजन नियम निश्चित रूप से नियम 9(1)(सी) को आकर्षित करेंगे।

30. उपरोक्त अभिमत को प्रस्तावित करते हुए इस न्यायालय ने सीमा शुल्क कलेक्टर (पूर्व), अहमदाबाद बनाम एस्सार गुजरात लिमिटेड 1996 88 ईएलटी 609 (एस.सी.) के मामले पर विचार किया। जिसका संदर्भ अपील की सुनवाई के समय भी दिया गया था।

31. एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (2001) 4 एससीसी 593 के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा उपरोक्त बिन्दु पर एक और निर्णय दिया गया है। इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में एस्सार गुजरात (सुप्रा) के मामले और नियम 3, 4 और 9 को संदर्भित करने के बाद पैराग्राफ 42, 43 और 44 में यह उल्लेखित किया है कि :-

"42.....इसलिए, ऐसी वस्तुओं में बौद्धिक तत्व कागज और स्याही के मूल्य को काफी बढ़ा देता है। इसका मतलब है कि शुल्क का प्रभार अंतिम उत्पाद पर है, चाहे वह विश्वकोश हो या इंजीनियरिंग या वास्तुशिल्प चित्र या कोई मैनुअल।

43. डिस्क या फ्लॉपी पर लोड किए गए किसी भी प्रकार के प्रोग्राम के मामले में भी यही स्थिति होगी। उदाहरण के लिए संगीत के मामले में एक लोकप्रिय संगीत कैसेट का मूल्य एक खाली कैसेट के मूल्य से कई गुना अधिक होता है। हालाँकि, यदि पहले से रिकॉर्ड किया गया संगीत कैसेट या एक लोकप्रिय फिल्म या संगीत स्कोर

भारत में आयात किया जाता है तो अंतिम उत्पाद के मूल्य पर शुल्क अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा।

44. यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि जिस पर कर लगाया जा रहा है वह बौद्धिक इनपुट है। सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों सीमा शुल्क के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के तहत जो कर लगाया जा रहा है वह केवल इनपुट से संबंधित कर नहीं है बल्कि वह उस माल जिसकी कीमत इंपुट के कारण बढ़ गई। उस पर लगाया गया कर है। आयात के समय अंतिम उत्पाद या तो पत्रिका या विश्वकोश या इंजीनियरिंग ड्राइंग हो सकती है। एक ओर इंजीनियरिंग ड्राइंग या विश्वकोश को बौद्धिक इनपुट और दूसरी ओर जिस कागज पर यह लिखा गया है, उसे विभाजित करने की कोई गुंजाइश नहीं है। उदाहरण के लिए, पेंटिंग्स पर भी कर लगाया जाना चाहिए। बहुमूल्य पेंटिंग्स की कीमत लाखों में होती है। एक पेंटिंग या चित्र विशेष रूप से बनाया जा सकता है या एक दर्जी से बनाया जा सकता है। यह पहलू अप्रासंगिक है क्योंकि जिस पर कर लगाया जाता है वह परिभाषित अंतिम उत्पाद है और यह तर्क देना बेतुका होगा कि शुल्क के प्रयोजनों के लिए मूल्य कैनवास और तेल पेंट की लागत होनी चाहिए अर्थात् पेंटिंग की कीमत लाखों में होती है।”

32. इसलिए जो बिन्दु हमारे समक्ष विचार के योग्य है, उसका उत्तर एसोसिएटेड सीमेंट्स कंपनीज लिमिटेड (सुप्रा) में निर्णित किया जा चुका है। उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि पहले से रिकॉर्ड किया गया संगीत कैसेट या कोई लोकप्रिय फिल्म या संगीत लिपि भारत में आयात किया जाता है, तो अंतिम उत्पाद के मूल्य पर शुल्क अनिवार्य रूप से लगाया जाएगा। नियम 9 के अनुसार, लेनदेन मूल्य निर्धारित करने में आयातित माल के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत, रॉयल्टी और आयातित माल से संबंधित लाइसेंस शुल्क को जोड़ा जाना चाहिए। जिसे खरीदार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान करना आवश्यक है।

इसलिए, माल की बिक्री की एक शर्त है की जब खाली कैसेट के मुकाबले पहले से रिकॉर्ड किए गए संगीत कैसेट का आयात किया जाता है, तो निश्चित रूप से बाजार में इसका मूल्य बढ़ जाता है, जो इसके मूल्य के अतिरिक्त होता है और इसलिए अंतिम उत्पाद के मूल्य पर शुल्क लगाना होगा। इसलिए, इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि भुगतान की गई रॉयल्टी का मूल्य लेनदेन मूल्य में शामिल किया जाना है।

33. इन सभी मामलों में इसमें कोई विवाद नहीं है कि प्रश्नगत कैसेट भारत में पूर्व रिकॉर्ड किए गए कैसेट के रूप में लाए जाते हैं जिनमें किसी कलाकार का संगीत या गीत होता है। सभी मामलों में एक समझौता मौजूद है कि रॉयल्टी भुगतान उन कलाकारों और निर्माताओं को भुगतान किए जाने वाले पैसे के रूप में है जिन्होंने ऐसे कैसेट का निर्माण किया था। जैसे ही कैसेट वितरित और बेचे जाते हैं, ऐसी रॉयल्टी देय हो जाती है और इसलिए, ऐसी रॉयल्टी भेजे गए पूरे रिकॉर्ड और वापस किए गए रिकॉर्ड पर देय हो जाती है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रॉयल्टी का भुगतान बिक्री की एक शर्त थी। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वकील ने जीएटीटी सीमा शुल्क मूल्यांकन कोड पर टिप्पणी पर भरोसा किया। हम यह देखने में असफल रहे कि जीएटीटी सीमा शुल्क मूल्यांकन कोड पर उपरोक्त टिप्पणी को वर्तमान मामले के तथ्यों पर कैसे लागू किया जा सकता है। यहां पहले उद्धृत विशिष्ट अनुभाग और नियम स्वयं बहुत स्पष्ट हैं। हमें केवल इसकी व्याख्या करने और वर्तमान मामले के तथ्यों पर इसे लागू करने की आवश्यकता है।

34. एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज़ लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को ध्यान में रखते हुए और ऊपर चर्चा किए गए कानून के स्पष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हम ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर देते हैं अर्थात् 2002 की सिविल अपील संख्या 8627-8628, 2008 की सिविल अपील संख्या

2959, 2006 की सिविल अपील संख्या 4751, 2006 की सिविल अपील संख्या 2832 और विभाग द्वारा पारित आदेश को बहाल करते हैं, जबकि 2009 की सिविल अपील संख्या 1 को खारिज करते हैं। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे।

अपील निस्तारित की जाती है।

यह अनुवाद अर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल “सुवास” की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री रवि प्रकाश सुथार (आर.जे-0690) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण :- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।